प्रेषक,

प्रबन्धक (प्रशासन / सामान्य)
गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
सेक्टर–7, ग्राम–बड़गहन, गीडा, गोरखपुर।

सेवा में,

महासचिव,
चैम्बर ऑफ इण्डस्ट्रीज,
उंद्योग भवन, औद्योगिक आस्थान,
गोरखनाथ, गोरखपुर।

पत्रांकः / सम्पत्ति / उद्योग / रूग्ण इकाईयॉ / 2020–21, दिनांक 4 जून, 2020

महोदय,

शासन द्वारा खुदरा व्यापारी / दुकानदार, स्वरोजगार व्यक्ति, राईस मिल मालिक, तेल मिल मालिक, कारखाना मालिक, कमीशन एजेण्ट, रियल स्टेट ब्रोकर, छोटे होटल / रेस्टोरेन्ट मालिक आदि के लिए प्रधान मंत्री श्रमयोगी मान धन योजना एवं नेशनल पेंशन योजना लागू की गयी है, यह बहुत अल्प अंशदान पर पेंशन की योजना है। शासन की मंशा है कि ऐसे व्यक्ति जो पेंशन के किसी भी योजना से आच्छादित नही है। उन्हे भी पेंशन योजना का लाभ दिलाया जाय।

गीडा में स्थापित खुदरा व्यापारी / दुकानदार, औद्योगिक इकाईयॉ व ट्रांसपोर्ट नगर / गीडा सेक्टरों में स्थापित व्यवासायिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मियों एवं स्वामियों के लिए यह एक आय की सुरक्षा योजना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके संस्था से जुडे हुए सदस्यों को इस योजना के बारे में अवगत कराने एवं इच्छुक सदस्यों की सूची मय मोबाईल नं0 उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे उनसे सम्पर्क कर उनका पंजीकरण कराकर उन्हे योजना से आच्छादित कराया जा सकें। आवश्यकता पड़ने पर श्रम विभाग के सहयोग से एक सेमिनार का आयोजन किया जा सकता है।

(आलोक कुमार अग्रवाल)
प्रबन्धक (प्रशासन / सामान्य)

पत्रांक 262 / उपर्युक्त / दिनॉंकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।

2– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।

3– श्रम उपायुक्त, गोरखपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रधान मंत्री श्रमयोगी मानधन योजना एवं नेशनल पेंशन योजना के सम्बन्ध में उपलब्ध पाठ्य सामाग्री,

कृ. प. उ.

फार्म, ब्रोसर, इत्यादि उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिसका प्रयोग प्रचार–प्रसार एवं पंजीकरण के कार्य के लिए किया जा सके।

4– सहायक प्रबन्धक कम्पयूटर को इस आशय से प्रेषित कि इस योजना को प्रचार –प्रसार हेतु गीडा के बेवसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

04.6.2020

(आलोक कुमार अग्रवाल)
प्रबन्धक (प्रशासन / सामान्य)